निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 51 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की के माह 09/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/09/2018 से 26/09/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

(ii) **परिचयात्मकः** इस खंड की पूर्व लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07/09/2017 से 23/09/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई एवं लेखा परीक्षा में माह 06/2016 से 08/2017 तक के लेखों की लेखा परीक्षा संपादित की गई थी।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की** के अंतर्गत जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के अन्तर्गत होने वाले सड़क एव सेतु के नव निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य ।

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			Non-Plan		Plan	
	मु.शीर्ष	स्थापना (` लाख में)	गैर स्थापना (` लाख में)	आवंटन (` लाख में)	व्यय (` लाख में)	आवंटन (`लाख में)	व्यय (` लाख में)
15-16	5054 3054 4059	-	-	595.93	595.92	8574.01 111.00 13.55	10533..7 110.99 13.55
16-17	5054 3054	-	-	282.61	277.41	6741.26 75.00	6461.44 75.00
17-18	5054 3054 2216	-	-	510.97 15.00	510.02 15.00	4766.20	4765.72
2018-19(08/2018)	5054 3054 2216			292.96 10.00	290.88	2528.50	2382.83

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	शून्य				
2016-17					
2017-18					
2018-19(7/2018)					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार

1. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,रुड़की

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-1690/2015 के अन्तर्गत आसफ नगर-इकबालपुर मोटरमार्ग के चौडीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ---------से --------- --- का निरीक्षण किया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2017 तक की गई।

फार्म 51: माह 08/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs 754.00.

भाग द्वितीय Rs (-)18227.00

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 124263.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 2593465.00
(ङ)	भण्डार	` 1039528.00

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 प्राक्कलित मात्रा से अधिक में आरबीएम एवं सीसी (1:4:8) बिछाने के कारण व्ययाधिक्य:- **`66.98 लाख**

राज्य योजना वर्ष 2016-17 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में कलीरामगेट से एनएच-73 तक (**2.20** किमी लंबाई) में सीसी मार्ग एवं नाली के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **2523/ III(2) /16-28 (**एमएलए)/2018 दिनांक **19** दिसम्बर 2016 के द्वारा **`387.12** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए उतनी ही राशि की प्राविधिकी स्वीकृति **26** दिसम्बर 2016 को प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-1 (देहरादून क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी। अधतन देयक (**8thRA Bill /** वाउचर संख्या 41 दिनांक 13.08.2018) के अनुसार कार्य पर **`366.33** लाख की राशि व्यय की जा चुकी थी। प्रतिवेदन के अनुसार पुराने सीसी मार्ग (650 मीटर) को तोड़ने के पश्चात 100**mm** मोटाई में आरबीएम (800 मीटर), 100**mm** मोटाई में सीसी 1**:4:8** (1000 मीटर) के बाद सीसी एम-25 (3800 मीटर) द्वारा **pavement** निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित था।

कार्य सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता के स्तर से **M/s Shivalik Infraventures Private Limited** के साथ अनुबंध (**Contact Bond No. 33/SE-HDR/2016-17 dated 03.01.2017)** का गठन किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमश: 03.01.2017 एवं 02.01.2018 थी। मासिक प्रगति आख्या (अगस्त 2018) के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु अंतिम मापी नहीं होने के कारण अंतिम बिल का भुगतान नहीं हुआ था। कार्य के प्राक्कलन एव अधतन देयक से ज्ञात होता है कि आरबीएम एवं सीसी 1:4:8 में प्राक्कलित मात्रा **523.75m^3** एवं **774.50m^3** के सापेक्ष क्रमश: **1548.35m^3** एवं **1960.65m^3** कार्य कराया गया था जिसके कारण आरबीएम एवं सीसी 1:4:8 का कार्य **1024.60m^3** एवं **1186.15m^3** अधिक में कराया गया था और फलस्वरूप `66.98[1] लाख की राशि अधिक व्यय की गयी थी जबकि सीसी

1

Name of sub-work	Estimated Quantity	Actual Quantity	Difference	Rate	Amount (` in lakh)
Laying of RBM	523.75m^3	1548.35 m^3	1024.60m^3	4765.00	48.82
CC in 1:4;8	774.50m^3	1960.65 m^3	1186.15 m^3	1531.00	18.16
				Total	66.98

M-25 (3914.47 घनमीटर) का कार्य प्राक्कलित मात्रा (3514.52 घनमीटर) से 11.39 प्रतिशत अधिक था। खंड द्वारा एक लेखा परीक्षा अवलोकन में बतलाया गया था कार्य की अंतिम मापी की जा चुकी है जबकि संबन्धित माप-पुस्तिका लेखा परीक्षा उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि कुछ मार्गो में निवासियों द्वारा पानी की निकासी हेतु **dis-mantaling** के काम का विरोध किया गया था। कार्यस्थल के जांच में पाया गया कि **dis-mantaling** के उपरांत जल निकासी बाधित हो सकती है। अत: मार्गो के ढाल में बदलाव हेतु पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सीसी मार्ग पर आरबीएम का भरान का कार्य कर **Basecoat (1:4:8)** तथा सीसी **M-25** कार्य कराया गया था।पुनः यह भी बतलाया गया कि इसके अतिरिक्त मुख्य मार्ग के निर्माण से कुछ संबन्धित मार्ग जो कि आगणन में सम्मिलित नहीं थे, में भी आरबीएम, **Basecoat (1:4:8)** तथा सीसी **M-25** कार्य कराया गया था।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त मार्ग को बिना **dis-mantaling** किए आरबीएम नहीं बिछाया जा सकता है। साथ ही, आगणन के अलावे अन्य मार्गो पर यदि कार्य किया गया था तो केवल आरबीएम एवं **Basecoat (1:4:8)** के अतिरिक्त सीसी **M-25** मद पर भी अतिरिक्त कार्य (केवल 11.39[2] प्रतिशत) अधिक था जबकि आरबीएम एवं **Basecoat (1:4:8)** पर कार्याधिक्य की मात्रा क्रमश: 195.63 एवं 153.15 प्रतिशत अधिक था।

---

[2] 3914.47 m^2 - 3514.52 m^2 = 399.95 m^2 (11.39% 73514.52)

भाग-II (**ब)**

प्रस्तर- 2 : ठेकेदार को अधिक भुगतान :- **`40.70 लाख ।**

मुख्यमंत्री घोषणा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेडा में आसफनगर - इकबालपुर मोटर मार्ग (9.00 किमी लंबाई) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 2450**/ II (2) / 16-71 (**प्रा.आ.) / 201**5** दिनांक **16** सितम्बर 2016 के द्वारा **`1069.93** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए उतनी ही राशि की प्राविधिकी स्वीकृति 26 दिसम्बर 2016 को प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-1 (देहरादून क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी।

प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में मार्ग एकल लेन में **9.00** किलोमीटर लम्बाई में 3.75 मीटर चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 5.50 मीटर की जानी है। इस उद्देश्य हेतु जीएसबी (300**mm)** को छोड़कर जी-2(150**mm),** डीबीएम (75**mm)** तथा बीसी (40**mm)** में किया जाना था। डीबीएम बिछाने से पूर्व **granular surface** पर **prime coat** तथा **tack-coat** किया जाना था। कार्य सम्पादन के लिए निविदा प्रकाशन (4 अक्तूबर 2016) के बाद **price-bid** में प्राप्त न्यूनतम निविदादाता **M/s Link Enterprises, Haridwar** को निविदा **`853.29** लाख में पुनरीक्षित शैड्यूल-बी के आधार पर प्रदान की गयी थी। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमश: 31 दिसम्बर 2016 एवं 31 दिसम्बर 2017 थी जबकि लेखा परीक्षा तिथि तक 08 महीने की देरी हो चुकी है और वर्तमान में 04 किलोमीटर के लंबाई में कार्य डीबीएम स्तर तक पूर्ण किया जा सका है और अधतन देयक (**8th Running Bill** वाउचर संख्या **37** दिनांक **13**.08.201**8**) के अनुसार कार्य पर **`279.31** लाख की राशि व्यय की जा चुकी थी।

कार्य के अधतन माप-पुस्तिका एवं देयक से परिलक्षित हुआ कि **Granular Surface** पर **8th RA Bill,** जिसका भुगतान 13 अगस्त 2018 को हुआ था, के अनुसार मार्ग के 7150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में **primer coat** एवं **Tack-coat** बिछाया गया था और तदनानुसार 536.25 घनमीटर (7150 वर्गमीटर **x 0.075** मीटर) डीबीएम का प्रयोग किया जाना चाहिए था जबकि **8th RA Bill** के अनुसार 1214.60 घनमीटर डीबीएम के प्रयोग के लिए ठेकेदार को भुगतान किया

गया था। इस प्रकार, 678.35[3] घनमीटर डीबीएम के लिए ` **40,70,100.00** अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि मार्ग पर 8th **Running Bill** के अनुसार 7150 वर्गमीटर में **Tack-coat** एवं **Primer coat** को बिछाया गया था। परंतु, उक्त बिल में प्लांट के अनुसार की गयी माप-पुस्तिका का 75 प्रतिशत भुगतान डीबीएम हेतु किया गया है जो की 1214.60 घनमीटर होता है। शेष **Primecoat** एवं **Tackcoat** का भुगतान अभी शेष है।

खंड का उत्तर अतार्किक है क्योंकि प्रथमत: प्लांट में उपलब्ध तैयार डीबीएम के आधार पर भुगतान नहीं किया जा सकता है और तैयार डीबीएम को तुरंत बिछाना आवश्यक होता है। अत: ठेकेदार को अधिक भुगतान पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं है।

[3] 1214.60 - 536.25 = 678.35 m^3 X ` 6000/$m^3$ = ` 40,70,100 /-

भाग दो (ब)

प्रस्तर-3: अनियमित प्रपत्रों के आधार पर रॉयल्टी में छूट दिया जाना एवं रॉयल्टी वसूल न किया जाना:- ` 780011.00 ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना औधौगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 30 सितंबर 2016 में खनिजों के अभिवहन हेतु e-रवन्ना पद्धति लागू की गई है जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि भंडारण/क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट स्थल से खनिजो के परिवहन हेतु e-प्रपत्र-J को अनिवार्य किया गया है। एवं प्रत्येक अवसर पर खनिजों के अभिवहन हेतु निर्धारित फॉर्म-J प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही रॉयल्टी में छूट प्रदान कि जाएगी ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग रुड़की के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा माह 02/2018 में देयक संख्या 40-2/18 `53541/- देयक संख्या 89-2/18 ` 52547/- एवं देयक संख्या 25-2/18 ` 49766/- की रॉयल्टी की छूट अनियमित प्रपत्रों के आधार पर दी गई थी इसके साथ ही ब्रिज एवं रूफ कंपनी को ` 2.00 करोड़ का भुगतान किया गया था किन्तु उक्त में ` 624147/- की रॉयल्टी नहीं काटी गई थी लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त J फॉर्म ठेकेदार के नाम व जीएसटी नंबर से प्राप्त होने के पश्चात ही रॉयल्टी में छूट प्रदान की जा रही है एवं ब्रिज एवं रूफ कंपनी से रॉयल्टी के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि रॉयल्टी में छूट दिये गए देयकों में न तो कंपनी का नाम अंकित है, न ही जीएसटी अंकित है एवं संलग्न फॉर्म-J में Destination भी कार्य स्थल के विपरीत है साथ ही ब्रिज एवं रूफ कंपनी को ` 2.00 करोड़ का भुगतान करने के बाद भी रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई है ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:-1 अधिक क्षेत्रफल में इंटरलोकिंग टाइल्स बिछाने से व्ययधिक्य:- `15.73 लाख।

राज्य योजना वर्ष 2015-16 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के ग्राम सुनहेटी आलापुर से बिनारसी तक सम्पर्क मार्ग का सीसी इंटरलोकिंग टाइल्स द्वारा (3.00 किमी लंबाई) निर्माण कार्य हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1182/ **III(2) /16-28** (एमएलए)/2015 दिनांक **20** मार्च 2016 के द्वारा `**213.77** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए उतनी ही राशि की प्राविधिकी स्वीकृति 05 मई 2016 को अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार के द्वारा प्रदान की गयी थी। अंतिम देयक (वाउचर संख्या 61 दिनांक 19 मार्च 2018) के अनुसार कार्य पर `**203.87** लाख की राशि व्यय की जा चुकी थी। प्रतिवेदन के अनुसार, आबादी वाले भाग में **edge to edge 06** मीटर के चौड़ाई में निर्माण कार्य के लिए जीएसबी (150**mm** मोटाई में), सीसी 1**:4:8 (**100**mm)** का कार्य के पश्चात इंटर लोकिंग टाइल्स लगाने का कार्य कराया जाना था। इसके साथ ही, 01 मीटर स्पान 10 आरसीसी कलवर्ट बनाने का कार्य किया जाना था। इसके साथ ही, डिज़ाइन के अनुसार इंटर लोकिंग टाइल्स लगाने से पूर्व जीएसबी एवं सीसी 1**:4:8** का कार्य किया जाना था।

कार्य सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता के स्तर से **M/s D B Construction, Bhagwanpur** के साथ अनुबंध (**Contact Bond No. 12/SE-HDR/2016-17 dated 07.10.2016)** का गठन किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमश: **07.10.2016** एवं 06.10.2017 थी। अंतिम देयक के अनुसार कार्य मार्च 2018 पूर्ण हो चुका है।

कार्य के अंतिम देयक एवं प्राक्कलन के अध्ययन के अनुसार **concrete with cement, coarse sand and 40mm gauge (1:4:8)** का कार्य 1071 घनमीटर में किया गया था जिसका क्षेत्रफल 0.10 मीटर मोटाई के आधार पर 10710 वर्ग मीटर होता है जबकि जीएसबी बिछाने का कार्य भी 1482.36 घनमीटर में किया गया था जिसका क्षेत्रफल 0.15 मीटर मोटाई के आधार पर 9882.0 वर्ग मीटर होता है। **concrete with cement, coarse sand and 40mm gauge (1:4:8),** जिस पर टाइल्स बिछाना था, के आधार पर टाइल्स 10710 वर्ग मीटर में बिछाई जानी चाहिए थी परंतु इसके विपरीत टाइल्स 13039.62 वर्गमीटर में बिछाया गया था जो कि उपरोक्त आधार पर 2329.62[4] वर्गमीटर अधिक में बिछाया गया था जिसके कारण

[4] 13039.62 - 10710.00 = 2339.62

`15,**73,134.61** ***(2329.62 वर्गमीटर x `696.16 प्रति वर्गमीटर= `16,21,788.26- `16,21,788.26 का 03 प्रतिशत=`16,21,788.26- `48653.65)*** का अधिक व्यय किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि आबादी वाले भाग में क्षतिग्रस्त **M-20** सीसी की मरम्मत करने के पश्चात केवल टाइल्स का कार्य ही किया गया था और इसलिए टाइल्स का क्षेत्रफल अधिक था।

खंड का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि संपादित **M-20** सीसी की मात्रा प्राक्कलित मात्रा (388.80 घनमीटर) से मात्रा 7.07[5] घनमीटर अधिक थी जिसका क्षेत्रफल 0.22 मीटर मोटाई के आधार पर 32.14[6] वर्गमीटर आता है जबकि अधिक मात्रा में इंटर लोकिंग टाइल्स का क्षेत्रफल 2329.62 वर्गमीटर था। अत: खंड का उत्तर मान्य नहीं है और इस प्रकार अधिक क्षेत्रफल में इंटर लोकिंग टाइल्स बिछाने के कारण हुए व्यायाधिक्य `15.**73** लाख के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

[5] 395.87 - 388.80 = 7.07

[6] 7007 ÷ 0.22 = 32.14 m^2

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	35/2015-16	1	1
2	43/2016-17	1	1,2
3	36/2017-18	1	-
4	29/2010-11	1	-
5	34/2011-12	2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर 08 प्रस्तर निस्तारित किये जा चुके है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री अशोक कुमार	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक ।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   1. श्री राजीव कुमार गोयल विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II